

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


## कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) वेतनमान (9300-34800/15600-39100) में निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे
1	द्रोपदी मेहर, जिशिअ, कार्यालय जि०शि०अ० मुख्यालय-प्राशि, कोटा	प्रधानाचार्य हाल जिशिअ	22-11-1960	30-01-1988	20 YEAR 29-01-2008	30-01-2008	6600/-
2	द्रोपदी मेहर जिशिअ, कार्यालय जि०शि०अ० मुख्यालय-प्राशि, कोटा	प्रधानाचार्य हाल जिशिअ	22-11-1960	30-01-1988	30 YEAR 29-01-2018	30-01-2018	L-17
3	रेणूका साजनानी, राउमावि, हिंगोनिया कोटा	प्रधानाचार्य	27-10-1966	04-10-1995	20 YEAR 03-10-2015	04-10-2015	6800/-
4	कमल सिंह धाकड़, राउमावि, इनायती जिला करौली	प्रधानाचार्य	08-08-1960	13-10-1983	30 YEAR 12-10-2013	13-10-2013	6800/-

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

  
(हिमांशु गुप्ता) 13/12  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-5-6-8/एसीपी/उद./कोटा/भरत/2019/26

दिनांक : 17-12-19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
2. संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
3. संबंधित अधिकारी

4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर


## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--:कार्यालय आदेश:--

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/ए-5-6-8/ एसीपी/उदय-कोटा-भरत/2019/ दिनांक 18.07.19, 18.03.19, 24.09.18 एवं 09.04.19 में निम्नांकित कार्मिकों के जारी एसीपी आदेशों में आंशिक संशोधन इनके नाम के आगे अंकितानुसार किया जाता है:-


क्रम सं०	नम,पद व पदस्थापन स्थान	पूर्व में जारी आदेश	आंशिक संशोधन
01/18	श्री सत्यनारायण शर्मा प्रधानाचार्य, राउमावि, छावर जिला करौली	एसीपी दिये जाने पर देय 15600-39100 में ग्रेड-पे 6800/-	पै-मैट्रिक लेवल-17
02/06	श्री वेचात डेन्डोर प्रधानाचार्य, राउमावि, घोटाद जिला डूंगरपुर	प्रथम नियुक्ति तिथि 23.09.64	प्रथम नियुक्ति तिथि 23.09.1994
03/01	श्री दीपसिंह प्रधानाचार्य, राउमावि, काछबली जिला राजसमन्द	एसीपी देय तिथि 22.07.2017	एसीपी देय तिथि 22.02.2017
04/14	श्री ओमप्रकाश गालव प्रधानाचार्य, राउमावि, कोटड़ी (छबड़ा)जिला बांरा	एसीपी अवधि पूर्ण करने की तिथि 06.12.2015	एसीपी अवधि पूर्ण करने की तिथि 06.12.2016
05/10	श्री अमृतलाल कलाल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर	एसीपी देय तिथि 09.07.97	एसीपी देय तिथि 09.07.2017

शेष पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक),  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/ए-5-6-8/एसीपी/संशोधन/उदय-कोटा-भरत/19/ दिनांक 23/19  
प्रतिलिपि:-

- 1-जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-मुख्यालय,
- 2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
- 3-संबंधित संस्था प्रधान।
- 4-संबंधित कार्मिक
- 5-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 6-निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक),  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।